परिशिष्ट - XIV (7)

वन विभाग

विविध

10 फरवरी 1960 से

संख्या 1115/14-331-59 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल यह मत है कि इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट 1927 (अधि० सं० 16, 1927) की धारा-23 की उपधारा - (3) के अधीन अधिसूचित जाँच तथा अभिलेख करने में इतना अधिक समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारों को खतरा हो सकता है।

अतएव उपर्युक्त उपधारा के प्रतिबन्धक द्वारा और उक्त ऐक्ट की धारा-80-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इस प्रकार जाँच तथा अभिलेख करने तक उक्त ऐक्ट के अध्याय - 4 के प्रावधान संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

अनुसूची

जिला	नाम सड़क	दूरी मील, चेन और फीटों में	चौड़ाई
1	2	3	4
1- मेरठ	x	x	x
2- मुजफ्फरनगर	x	x	x
x	x	x	x
21- पीलीभीत	1- बरेली-पीलीभीत न्यौरिया रोड	23 मील 0 चेन से 25 मील [illegible] तक	
	2- पीलीभीत-जहानाबाद	2 मील से 5 मील 2 फर्लांग तक रोड	
	3- बीसलपुर-बिलसण्डा रोड	शून्य से 10 मील 3 फर्लांग 330 फीट	
	4- पीलीभीत- गजरौला	शून्य से 2 फर्लांग 340 फीट तक	
	5- पीलीभीत-बीसलपुर रोड	22 मील 3 फर्लांग तक	
	6- जाटीमा-इनरट रोड	3 मील 4 फर्लांग तक	
x	x	x	x

A. Kumar 22/12/17

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
पीलीभीत

शील कृष्ण धवन/Sheel Krishan Dhawan
वरिष्ठ प्रबंध (रिटेल सेल्स) /Sr. Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
35-ए, कमला नेहरू मार्ग/35-A, Kamla Nehru Marg
बरेली-243001 (उ.प्र.)/Bareilly-243001 (U.P.)